

# राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर


## आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1411 /2021 दिनांक :- 01.07.2021

विधि एवं विधिक कार्य विभाग (न्याय) प्रकोष्ठ, जयपुर के आदेश क्रमांक प.11. (3) न्याय/2002, दिनांक 08.09.2005 संप्रति राजकीय सेवा नियम 1951 के नियम 91-ए के तहत राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारीगण को दिनांक 01.04.2000 से दो वर्षों के प्रत्येक ब्लॉक में अधिकतम 30 दिवस के उपाजित अवकाश का नकद भुगतान अनुज्ञेय किया गया है। अतः निम्न वर्णित अधिकारी को उनके आवेदनानुसार अधोनिखित तालिकानुसार उपाजित अवकाश का नकद भुगतान स्वीकृत किया जाता है। जियकी प्रविष्टी सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पृश्निका में कर दी गई है।

क्र. सं.	नाम अधिकारी एवं पदनाम	समर्पित अवकाश के दिनों की संख्या	ब्लॉक वर्ष	समर्पित अवकाश की दिनांक
	सुश्री जयमाला पानीगर (RJ0601).			
1.	अपर जिला एवं मेशन न्यायाधीश क्रम-04, उदयपुर।	30	2020-2022	18.06.2021


आज्ञा से.

  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)  
दिनांक 1/7/2021

क्रमांक :- स्था.वी.प(4)/58/2008/ 4148

प्रतिनिधि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शामन मन्त्रि, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं मेशन न्यायाधीश, उदयपुर।
3. सुश्री जयमाला पानीगर (RJ0601), अपर जिला एवं मेशन न्यायाधीश क्रम-04, उदयपुर।

  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)  
दिनांक 30-06-2021

ले  
न  
30/6/21

AOS  
30/6